

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आदेश से प्रथम अपील संख्या- 327 वर्ष 2021**

रिलाइंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड कानपुर नगर

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

प्रीति एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: महेंद्र कुमार मिश्र
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: जगत पाल सिंह, जगदीश प्रताप पाण्डेय

न्यायालय संख्या -20**माननीय न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार**

1. यह अपील मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (दक्षिण), लखनऊ द्वारा एम्.ए.सी.पी. संख्या 13/2019 में दिनांक 25.08.2021 को पारित निर्णय और अवार्ड के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा दावाकर्ताओं-प्रतिवादियों के पक्ष में ब्याज सहित 41,01,462.40/- रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.12.2018 को, जब शिकायतकर्ता विवेक सिंह अपने घर से वाहन संख्या एचआर 10 एन 8201 पर सवार होकर रात लगभग 11:30 बजे सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर रहे थे, तभी एक कार (आई -10) जिसका पंजीकरण संख्या यूपी 35 एयू 5103 था, तेजी और लापरवाही से चलाई जाती हुई आई और उसने पीछे से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप विवेक सिंह को गंभीर चोटें आईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद, प्राथमिकी दर्ज की गई और शव का परीक्षण कराया गया; शव-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी। मृतक के आश्रितों ने एक दावा याचिका दायर की।

3. अधिकरण ने अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात् निम्नलिखित वाद बिंदु निर्धारित किए:

"1. क्या दिनांक 17.12.18 को समय लगभग 11.30 बजे रात में लखनऊ कानपुर रोड पर स्थित थाना सरोजिनी नगर के पास थाना सरोजिनी नगर जिला लखनऊ में कार संख्या-यू पी 35 ए यू 5103 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मोटर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

साइकिल संख्या एच.आर.10 एन 8201 में पीछे से टक्कर मार कर दुर्घटना की थी, जिसमें आयी चोटों से विवेक सिंह की मृत्यु हो गयी ?

2. क्या उपरोक्त दुर्घटना कारित करने वाले वाहन कार संख्या-यू पी 35 ए यू 5103 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था?

3. क्या उपरोक्त दुर्घटना कारित करने वाले वाहन कार संख्या-यू पी 35 ए यू 5103 विपक्षी संख्या-3 रिलाएंस जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में बीमित था?

4. क्या याची विपक्षीगण से कोई प्रतिकर धनराशि पाने के अधिकारी हैं यदि हाँ तो किस विपक्षी से और कितना?

5. अनुतोष?"

4. पक्षों के साक्ष्यों की जांच करने और अभिलेख और अन्य दस्तावेज़ के परिशीलन के बाद, अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुर्घटना 17.12.2018 को रात 11:30 बजे हुई थी, जिसमें मरने वाला मोटरसाइकिल चलाते समय पीछे से एक कार द्वारा मारा गया था, जिसे तेज़ और लापरवाही से चलाया जा रहा था। दुर्घटना के समय, वाहन के चालक के पास वैध चालक लाइसेंस था और वह बीमा कंपनी द्वारा बीमित था। अधिकरण ने आगे पाया कि मरने वाला 35 साल का था और कमाई और दूसरी बातों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि क्लेम करने वाला 41,01,462.40 रुपये के मुआवजे का हकदार था। इस आदेश को वर्तमान अपील के द्वारा चुनौती दी गई है।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि वाद बिंदु संख्या 1 पर बहुत ही लापरवाही से निर्णय किया गया, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई दुर्घटना की घटनास्थल पुनर्निर्माण आख्या पर भी विचार नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि अधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत घटनास्थल पुनर्निर्माण आख्या पर भरोसा नहीं किया, जिससे पता चलता है कि दुर्घटना हुई थी, लेकिन चूंकि मरने वाले ने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए लगी चोटें जानलेवा हो गईं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. इसके विपरीत, विपक्षी अधिवक्ता का कहना है कि अधिकरण ने गवाहों के साक्ष्यों और अधिकरण के समक्ष रखे गए अभिलेखों पर भरोसा करने के बाद सही फैसला सुनाया है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत घटनास्थल पुनर्निर्माण आख्या पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अपीलार्थी ने अपने वाद को समर्थित करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई और जमा की है जो कोई स्वतंत्र आख्या नहीं है, बल्कि किसी संस्था की आख्या है जिसे अपीलार्थी कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है।

7. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि आख्या प्रस्तुत कर दी गई थी, परन्तु उस पर अधिकरण के समक्ष जोर नहीं दिया गया।

8. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री महेंद्र कुमार मिश्रा और विपक्षीगणों के विद्वान अधिवक्ता श्री जगत पाल सिंह को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

9. अपीलार्थी की तरफ से सिर्फ यही दलील दी गई है कि अधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मोटर-दुर्घटना घटनास्थल पुनर्निर्माण आख्या पर भरोसा नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि दुर्घटना हुई थी, लेकिन चूंकि मृतक ने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए लगी चोटें जानलेवा हो गईं।

10. आख्या के परिशीलन से पता चलता है कि "मोटरसाइकिल सवार के चेहरे पर लगी ऐसी चोटों को कम किया जा सकता था या उनसे बचा जा सकता था यदि सवार सुरक्षात्मक हेलमेट का उपयोग करता और भारतीय यातायात विनियमन के नियमों के अनुसार, सवारी करते समय सवार के लिए हेलमेट पहनना और सुरक्षा सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है"। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस मोटर दुर्घटना पुनर्निर्माण रिपोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक स्व-प्राप्त रिपोर्ट है। इसके अलावा, चोटों की संख्या अधिक है और रिपोर्ट कहती है कि यदि उसने हेलमेट पहना होता तो चेहरे की चोटें कम हो सकती थीं। रिपोर्ट यह सुझाव देती है कि यदि उसने हेलमेट पहना होता तो चेहरे की चोटें कम हो सकती थीं, हालांकि, अन्य कई चोटें भी हैं और मृत्यु का कारण उन चोटों में से कोई भी हो सकती है, इसलिए, मोटर दुर्घटना पुनर्निर्माण रिपोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है।

11. इसलिए, आक्षेपित आदेश पूरी तरह से न्यायसंगत है और मुझे इस मामले में दखल देने का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए अपील **निरस्त** की जाती है।

12. विचारण न्यायालय का रिकॉर्ड और इस फैसले की एक प्रति अनुपालन के लिए अधिकरण को भेजी जाएगी। इस न्यायालय के समक्ष जमा की गई कानूनी राशि समायोजन के लिए अधिकरण को वापस भेज दी जाएगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17 मार्च, 2026

सौरभ यादव/-

(न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।